राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 196/2022

मातादीन सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, जिला बीकानेर (राज.)।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर डिवीजन, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2022
आदेश की दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड प्रथम स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया जावे और रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वरिष्ठता का सही निर्धारण कर वर्ष 2015–16 के बजाय जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विधिक, शिक्षा संकुल, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और वर्ष 2006 में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की वरिष्ठता अंतिम वरिष्ठता सूची वर्ष 2005–06 के लिए दिनांक

16.07.2013 को प्रकाशित की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 2010 में स्नातकोत्तर हिंदी दिनांक 25.07.2011 को उत्तीर्ण की, जिसकी सूचना अपीलार्थी ने दिनांक 16.08.2011 को विभाग को दी। प्रत्यर्थी विभाग ने अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति हेतु चयन सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक का नाम वरिष्ठता क्रमांक 1736 पर अंकित कर वर्ष 2005–06 के विरूद्ध जारी की गई। जबकि अपीलार्थी योग्यता के आधार पर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य था। अपीलार्थी वर्ष 1992 में स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विषय से उत्तीर्ण है और वर्ष 2011 में स्नातकोत्तर हिंदी से भी योग्यता अर्जित की है। विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्न्नति हेतु योग्यता जुड़वाने के संबंध में दिनांक 18.02.2015 को आदेश जारी किया गया, जिसके क्रम में निदेशक के आदेश दिनांक 24.04.2015 के द्वारा योग्यता के संबंध में संशोधन किया गया। अपीलार्थी की योग्यता दर्ज संशोधन उपरांत भी उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी से जो कनिष्ठ श्री राम अवतार मीणा को अध्यापक ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु उस पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनका कथन है कि अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2880/2018 नवल किशोर मीणा बनाम राज्य में दिनांक 15.03.2021 को आदेश पारित किया गया और अपील स्वीकार की गई तथा समस्त लाभ भी प्रदान किए गए। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान कर दी गई, जो नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड प्रथम स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया जावे और रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध वरिष्ठता का सही निर्धारण कर वर्ष 2015–16 के बजाय जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को पदोन्नत मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का नाम द्वितीय वेतन श्रृंखला

अध्यापकों की वर्ष 2005–06 हेतु निर्मित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 1726 पर दर्ज है तथा उक्त सूची में अपीलार्थी की एम.ए. हिंदी योग्यता का इंद्राज आदेश दिनांक 24.04.2015 के द्वारा किया गया, जिसके आधार पर अपीलार्थी का प्राध्यापक स्कूल शिक्षा हिंदी की वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमित पदोन्नति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.07.2015 द्वारा नियमानुसार चयन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चयन वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सूची में एम.ए. हिंदी योग्यता अंकन के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि कार्मिक को मण्डल स्तर एवं बाद में राज्य स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दो बार अवसर प्रदान किया जाता है, जिसका अपीलार्थी स्वयं उत्तरदायी है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा हिंदी की वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के प्रति नियमानुसार चयन किया गया है और अपीलार्थी की योग्यता का अंकन नहीं होने के कारण उसके नाम पर विचार नहीं किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा विधिक, शिक्षा संकुल, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और वर्ष 2006 में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी की वरिष्ठता अंतिम वरिष्ठता सूची वर्ष 2005–06 के लिए दिनांक 16.07.2013 को प्रकाशित की गई। अपीलार्थी ने वर्ष 2010 में स्नातकोत्तर हिंदी दिनांक 25.07.2011 को उत्तीर्ण की, जिसकी सूचना अपीलार्थी ने दिनांक 16.08.2011 को विभाग को दी। जहां तक अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड प्रथम स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि उक्त पद पर पदोन्नति हेतु अर्जित योग्यता एम.ए. हिंदी का अंकन अपीलार्थी द्वारा विभाग को समय पर सूचना नहीं दी गई। अनुलग्नक–7 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा एम.ए. हिंदी की योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे संस्थापन द्वारा दिनांक 16.08.2011 को प्राप्त किया गया। विभाग द्वारा अध्यापक ग्रेड

प्रथम स्कूल व्याख्याता के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता सूची वर्ष 2005–06 जारी दिनांक 19.08.2013 में राज्य स्तर पर 1726 नम्बर पर दर्ज है और उससे कनिष्ठ श्री राधेश्याम मीणा जिनकी वरिष्ठता 1735 है, फिर भी अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को उक्त वित्तीय वर्ष के विरूद्ध उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इस प्रकार हम प्रत्यर्थी विभाग के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी द्वारा एम.ए. हिंदी की योग्यता का अंकन की सूचना समय पर कार्यालय में नहीं दी गई। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी उक्त पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नति पाने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 11.10.2021 को अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अध्यापक ग्रेड प्रथम स्कूल व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अर्जित योग्यता एम.ए. हिंदी को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार उसे पदोन्नति प्रदान की जावे तथा जिस तिथी उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति का समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य